[2014] 11 एस. सी. आर. 483

पेरियासामी पुत्र दुरईसामी नोवनगर

बनाम

राज्य प्रतिनिधित्व द्वारा पुलिस निरीक्षक सी आई डी ब्रांच, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडू

(आपराधिक अपील संख्या 1272/2012)

11 अप्रैल, 2014

[पी. सथासिवम, सीजेआई, रंजना प्रकाश देसाई और रंजन गोगोई, जे.जे.]

आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1987- धाराएँ 3(2), 3(3), 4(1), 5 और 15- आपराधिक षड्यंत्र- अभियुक्त कथित रूप से विस्फोटक बमों का निर्माण करता था और एक पुल की पटरियों पर विस्फोट कारित किया- ए1 का स्वीकारोक्ति बयान- ए1 और ए2 की दोषसिद्धि- सम्पोश्नियता- अभिनिर्धारित: ए1 का स्वीकारोक्ति बयान साक्ष्य का उसके खिलाफ एक प्रमुख हिस्सा था- पीडब्लू-13 और पीडब्लू-32 के साक्ष्य ने ए1 के स्वीकारोक्ति बयां को आवश्यक स्वतंत्र पुष्टि प्रदान की- अपराध स्थल पर पाए गए आपत्तिजनक दीवार पोस्टरों में A1 की लिखावट थी जो एक निर्णायक परिस्थिति थी और उसके

अपराध को स्थापित करती थी- हालांकि, अभियोजन पक्ष ए2 के खिलाफ मामला उचित संदेह से परे स्थापित करने में सक्षम नहीं है- ए1 की दोषसिद्धि की पुष्टि हुई जबकि ए2 को दोषमुक्त किया गया- दंड संहिता,1860 -धरा 120B और 124 -विस्फोटक पदार्थ अधिनियम- धाराएँ 3 और 5 -रेलवे अधिनियम, 1989- धारा 150 -सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम -धारा 3 सपठित धारा 4

आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1987- धारा 15- के तहत स्वीकारोक्ति बयान- स्वीकारोक्ति बयान प्रत्याहरित किया- साक्ष्यात्मक मूल्य- अभिनिर्धारित: मुकरना हमेशा किसी स्वीकारोक्ति बयान के साक्ष्यात्मक मूल्य को फीका या कम या ख़त्म नहीं करता है- प्रत्येक मामले में, न्यायालय को यह परिक्षण करना होगा कि क्या स्वीकारोक्ति स्वैच्छिक और सत्य थी और क्या प्रत्याहरण पश्चात्वर्ती विचार था- साक्ष्य- स्वीकारोक्ति।

साक्ष्य- गवाह- पक्षद्रोही गवाह- की प्रशंसा- अभिनिर्धारित: पक्षद्रोही गवाह का साक्ष्य पूरी तरह से ख़ारिज किया जाना आवश्यक नहीं है- अभियोजन उसके साक्ष्य के उस हिस्से का उपयोग कर सकता है जिसकी पुष्टि अभिलेख पर अन्य साक्ष्य द्वारा की जाती है।

अपीलों का निस्तारण करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1.1. ए1 का स्वीकारोक्ति बयान उसके खिलाफ सबूत का एक बड़ा

हिस्सा है। टाडा की धारा 15 के तहत दर्ज किया गया स्वीकारोक्ति बयान, यदि स्वेच्छा से दिया गया पाया जाता है और सत्य और उचित रूप से अभिलिखित किया गया है, तो दोषसिद्धि का आधार बन सकता है। यह तर्क कि ए 1 ने अपनी स्वीकारोक्ति प्रत्याहरित कर ली है और, इसलिए, इसका कोई साक्ष्य मूल्य नहीं है, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। प्रत्याहरण हमेशा किसी स्वीकारोक्ति बयान के साक्ष्यात्मक मूल्य को फीका या कम या ख़त्म नहीं करता है। । प्रत्येक में मामले में, न्यायालय द्वारा यह परिक्षण करना होगा कि क्या स्वीकारोक्ति स्वैच्छिक और सत्य थी और क्या इसका प्रत्याहरण एक पश्चात्वर्ती विचार था। मौजूदा मामले में, ए 1 का स्वीकारोक्ति बयान सही प्रक्रिया का पालन करने के बाद दर्ज किया गया था; यह स्वैच्छिक और सत्य था; ए 1 को अपना बयान देने के लिए मजबूर या बाध्य नहीं किया गया था और उक्त बयान को प्रत्याहरित करना स्पष्ट रूप से एक पश्चातवर्ती विचार है और इसे नजरअंदाज किया जाना चाहिए।[पैरा 20,21] [499-बी; 500-ई; 501 सी-डी; 502-ए-बी]

1.2. पीडब्लू-13 और पीडब्लू-32 का साक्ष्य A1 के स्वीकारोक्ति बयान को आवश्यक स्वतंत्र पुष्टि प्रदान करता है। अपराध स्थल पर पाए गए आपत्तिजनक दीवार पोस्टरों में A1 की लिखावट है, जो एक निर्णायक परिस्थिति है और उसके अपराध को स्थापित करने में काफी मदद करती है। इसलिए, विचारण न्यायालय ने उसे सही रूप से दोषी ठहराया है। [पैराज 24,27] [205-एच; 503-ए; 505-बी]

याकूब अब्दुल रज़ाक मेमन बनाम महाराष्ट्र राज्य (2013) 3 स्केल 565; कलावती बनाम हिमाचल राज्य एआईआर 1953 एससी 131: 1953 एससीआर 546 और तमिलनाडु राज्य बनाम कुट्टी एआईआर 2001 एससी 2778: 2001(11) पूरक एससीआर 433 और भज्जू उर्फ़ करण सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2012) 4 एससीसी 327: 2012(5) एससीआर 37- निर्भरता।

पुलिन दास उर्फ़ पन्ना कोच बनाम असम राज्य (2008) 5 एससीसी 89: 2008 (3) एससीआर 257; प्रकाश कुमार उर्फ़ प्रकाश भुट्टो, आदि बनाम गुजरात राज्य (2007) 4 एससीसी 266: 2007 (5) एससीआर 532; विजयन, आदि बनाम केरल राज्य (1999) 3 एससीसी 54: 1999(1) एससीआर 659 और राज्य बनाम नलिनी और अन्य (1999) 5 एससीसी 253: 1999(3) एससीआर 1- संदर्भित।

2. हालांकि, अभियोजन ए2 के खिलाफ उचित संदेह से परे अपना मामला स्थापित करने में सक्षम नहीं है। इसलिए उसे संदेह का लाभ मिलना चाहिए। इन परिस्थितियों में, ए1 की दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है जबकि ए2 को बरी किया जाता जाता है। [पैराज 28,29] [505-जी-एच; 506-ए-बी]

मामला कानून संदर्भः

2008 (3) एससीआर 257 संदर्भित किया गया है पैरा 11

2007 (5) एससीआर 532	संदर्भित किया गया है	पैरा 11
1999 (1) एससीआर 659	संदर्भित किया गया है	पैरा 11
1999 (3) एससीआर 1	संदर्भित किया गया है	पैरा 12
(2013) 3 स्केल 565	उस पर भरोसा करें	पैरा 12
1953 एससीआर 546	उस पर भरोसा करें	पैरा 23
2001 (11) पूरक एस. सी. आर. 433	पर निर्भर	पैरा 23
2012 (5) एससीआर 37	उस पर भरोसा करें	पैरा 26

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 1272/2012

अपराध संख्या 307/1992 के कैलेंडर मामला संख्या 45/1995 में प्रधान सत्र न्यायाधीश और टाडा (पी) अधिनियम के तहत नामित न्यायाधीश, तिरुचिरापल्ली के निर्णय और आदेश दिनांक 27.06.2012 से।

साथ में

आपराधिक अपील संख्या 787/2013

एम.एस. गणेश, एस.गोवथामन, के. पारिवेंद्हम, एस.सेतु महेंद्रन, आर.अय्याम पेरूमल, अपीलार्थी की और से।

सुब्रमण्यम प्रसाद, एएजी, एम.योगेश कन्ना, राजीव दलाल, वनिता सी.गिरि, प्रत्यर्थी की और से।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया-

(श्रीमती) रंजना प्रकाश देसाई, न्यायाधिपति

1. आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1987 ("टाडा") की धारा 19 के तहत दायर वर्तमान अपीलें वृद्धाचलम रेलवे पुलिस स्टेशन के अपराध संख्या 307/1992 में कैलेंडर केस नंबर 45/1995 में प्रधान सत्र न्यायाधीश और टाडा के तहत नामित न्यायाधीश, तिरुचिरापल्ली द्वारा पारित 27/06/2012 के फैसले और आदेश के खिलाफ निर्देशित हैं। आपराधिक अपील संख्या 787/2013 में अपीलकर्ता सेंथिलकुमार@कुमार (सुविधा के लिए 'ए 1-सेंथिलकुमार') है। आपराधिक अपील संख्या 1272/2012 में अपीलकर्ता पेरियासामी है (सुविधा के लिए 'ए 2-पेरियासामी')।

2. अभियोजन के अनुसार, 24/10/1992 को, पीडब्लू-10 रामासामी क्विलॉन एक्सप्रेस (रेल संख्या 6105) चला रहे थे। जब ट्रेन मरुवातुर पेरिया ओडाई पुल No.276 के पास पहुंची, उन्होंने रेल पटरी पर कुछ वस्तु देखी। उसने तुरंत आपातकालीन ब्रेक लगाया और ट्रेन को रोका। पीडब्लू-11 राजेंद्रन राजा, जो सहायक चालक थे, गार्ड के साथ ट्रेन से नीचे उतरे और पटरियों का निरीक्षण करने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने पटरियों पर कुछ पत्थरों को हरी पत्तियों के साथ ढके हुए देखा। उसी समय उनको उन्हें 1 किमी की दूरी पर स्थित पुल के पास तेज आवाज सुनाई दी. इस बीच, सिल्लाकुडी स्टेशन के स्टेशन मास्टर 3, पीडब्लू-2 गणपति को सूचना

मिली कि क्विलोन एक्सप्रेस पर्ल सिटी एक्सप्रेस को पार करने के बाद कल्लागम स्टेशन से शुरू हुई थी, लेकिन पलंगनाथम तक नहीं पहुंची थी। उसने पीडब्लू-1 एंटोनिसामी, पीडब्लू-4 हाजी सलाहुदीन, पीडब्ल्यू-6 थंगराज और पीडब्ल्यू-7 पोंनियन को कुइलों एक्सप्रेस की विलम्ब के कारण पता करने के लिए निर्देश दिया। उन्होंने पाया कि घटनास्थल पर पटरियां ऊपर की ओर झुकी हुई थीं और बजरी पत्थर तथा स्लीपर टूटे हुए और अस्त-व्यस्त थे। पुल के नीचे उन्हें नारे लिखे कुछ कागज दिखे। उन्होंने पुल की दीवारों पर कुछ नारे लिखे देखे. हरी पत्तियों से ढके रेलवे ट्रैक के ऊपर कुछ पत्थर भी पाए गए। पीडब्लू-8 राजा चिदम्बरम, एसईपी कल्लागम स्टेशन भी ट्रैक के किनारे रेल की तलाश में गए और रेल को ब्रिज नंबर 276 के उत्तरी दिशा में पाया। उन्हें ट्रैक पर हरी पत्तियों से ढके हुए पत्थर रखे हुए मिले। स्लीपर टूटे हुए और अस्त-व्यस्त पाए गए और पटरियाँ ऊपर की ओर मुड़ी हुई पाई गईं।

3. रेलवे लाइन पर बम विस्फोट के बारे में नियंत्रण कक्ष से सूचना मिलने पर, पीडब्लू-29 हैदर अली खान, पुलिस उप-निरीक्षक, रेलवे, वृद्धाचलम घटनास्थल पर पहुंचे। उन्हें पीडब्लू-1 एंटोनीसामी से दिनांक 24/10/1992 को शिकायत [प्रदर्श पी1] प्राप्त हुई और भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा 150 और विस्फोटक अधिनियम की धारा 3 और 5 और आईपीसी की धारा 120-बी और 124 के तहत अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ अपराध संख्या 307/1992 दर्ज किया गया। प्राथमिकी रिपोर्ट

[प्रदर्श पी11] का मुद्रित संस्करण न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या V, तिरुचिरापल्ली को भेज दिया गया था और एक प्रति पुलिस निरीक्षक, रेलवे, विल्लुपुरम को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई थी। अन्वेषण शुरू किया गया। पीडब्लू-40 पट्टाबिरमन, पुलिस निरीक्षक "क्यू" शाखा सीआईडी, तिरुचिराप्पल्ली के साक्ष्य से ऐसा प्रतीत होता है कि अन्वेषण का प्रभार संभालने के बाद, उन्होंने पीडब्लू-15 सेवी पेरियासामी से पूछताछ की। उन्हें सुराग मिल गया। ए1-सेंथिलकुमार, ए2-पेरियासामी और अन्य आरोपियों की संलिप्तता का खुलासा किया गया। ए1-सेंथिलकुमार को 17/12/1993 को गिरफ्तार किया गया। उसकी तलाशी पर दाहिनी ओर की कमर में छिपाकर रखी गई पांच जिलेटिन की छड़ें, उसकी बाईं ओर की कमर में छिपाए गए पांच इलेक्ट्रिक डेटोनेटर और उसकी जेब से दो पेन टॉर्च सेल बरामद किए गए। उन्हें महज़ार [प्रदर्श पी5] के तहत जब्त किया गया। 19/12/1993 को, आवश्यक प्रक्रिया का पालन करने के बाद, A1-सेंथिलकुमार का स्वीकारोक्ति बयान पीडब्ल्यू-37 रामानुजम, पुलिस अधीक्षक, "Q" शाखा सीआईडी द्वारा टाडा की धारा 15 के तहत दर्ज किया गया। ए2-पेरियासामी को 9/1/1994 को गिरफ्तार किया गया।

4. अन्वेषण पूर्ण होने पर, पीडब्लू-40 पीआई पत्ताबिरमण ने ए1-सेंथिलकुमार, ए2-पेरियासामी, फरार आरोपी राजाराम उर्फ़ माधवन के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (संक्षेप में 'दं.प्र.सं.') के तहत पुलिस रिपोर्ट यह आरोप लगाते हुए पेश की कि ए1-सेंथिलकुमार, ए2-

पेरियासामी के साथ फरार आरोपी राजाराम उर्फ़ माधवन और मृतक लेनिन और केरलं उर्फ़ नागराजन "तमिलनाडु विदुथलाई पदाई" और "थमिझागा मक्कल विदुथलाई पदाई" के सदस्य हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य बम लगाकर लोगों में आतंक फैलाना, रेलों को पटरी से उतारना और ऐसे कृत्यों से केंद्र और राज्य सरकार की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना और तमिलनाडु को भारतीय संघ से अलग करना था। यह आरोप लगाया कि ए 1-सेंथिलकुमार, ए 2-पेरियासामी के साथ फरार आरोपी राजाराम उर्फ़ माधवन और मृतक लेनिन और करालन उर्फ़ नागराजन ने मिलकर साजिश रची और A2-पेरियासामी ने दुरईमंगलम में गवाह सेवी पेरियासामी को उनसे मिलवाया और उन्होंने विस्फोटक बम बनाए और 292/6 और 7 किलोमीटर पर कल्लाकुडी पझांगनाथम और कल्लागम रेलवे स्टेशनों के बीच रेल के ब्रिज नंबर 276 की पटरियों पर 24/10/1992 को 2.45 बजे क्विलोन एक्सप्रेस, जो आमतौर पर या लगभग उसी समय पुल को पार करती है, के यात्रियों के जीवन को खतरे में डालने के इरादे से विस्फोट किया और और विस्फोट से 20 फीट की लंबाई तक 20 लकड़ी के स्लीपर और रेल और कंक्रीट संरचनाओं का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना टल गई क्योंकि इंजन ड्राइवर ने पटरी पर पत्थरों को देखकर ट्रेन रोक दी। यह भी आरोप लगाया गया कि 17/12/1993 को ए 1-सेंथिलकुमार के पास बिना किसी परमिट के डेटोनेटर और जिलेटिन की छड़ें अनधिकृत रूप से थीं। रिपोर्ट में आरोपियों के खिलाफ टाडा, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, सार्वजनिक

संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम और रेलवे अधिनियम के तहत विभिन्न आरोप लगाए गए।

5. चूंकि आरोपी राजाराम उर्फ़ माधवन फरार था, उसके खिलाफ मामला विभाजित किया गया। चूंकि यह सूचित किया गया था कि उसकी मृत्यु हो गई है, उसके मामले को उपशमन होने से निस्तारित किया गया।

6. विचारण न्यायालय ने ए1-सेंथिलकुमार के खिलाफ आई पी सी की धारा 120(बी) सपठित धारा 3(3) और टाडा की धारा 4(1), टाडा की धारा 3(2)(ii), 4(1)(और 5, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 और 5, रेलवे अधिनियम की धारा 150(2)(बी) और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम की धारा 4 सपठित धारा 3 के तहत आरोप सुनाये। ए2-पेरियासामी के खिलाफ विचारण न्यायालय ने आईपीसी की धारा 120(बी) के साथ टाडा की धारा 3(3) और 4(1), टाडा की धारा 3(3) और 4(1), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 और सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम की धारा 3 सपठित धारा 4 के तहत आरोप सुनाये।

7. ए1-सेंथिलकुमार और ए2-पेरियासामी ने खुद आरोप के खिलाफ निर्दोष बताया। यह स्थापित करने के लिए बचाव पक्ष ने दो गवाहों को परीक्षित कराया कि पुलिस ने उन्हें धमकी दी और उन्हें ए1 सेंथिलकुमार को पेश करने के लिए कहा, इस प्रकार सुझाव दिया कि ए1-सेंथिलकुमार

को गलत फंसाया गया था। अभियोजन पक्ष ने 41 गवाहों को परीक्षित कराया।

8. साक्ष्यों पर गौर करने के बाद, विचारण न्यायालय ने ए1-सेंथिलकुमार को आईपीसी की धारा 120(बी) सपठित टाडा की धारा 3(3) और 4(1), टाडा की धारा 3(2)(ii), 4(1) और 5, विष्फोटक पधार्थ अधिनियम की धारा 3 और 5, रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 150(2)(बी) और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम की धारा के तहत दोषी ठहराया और उसे रेलवे अधिनियम की धारा 150(2)(बी) के तहत अपराध के लिए आजीवन कारावास; भा.दं.सं. की धारा 120(बी) सपठित टाडा की धारा 3(3) और 4(1) के तहत 5 वर्ष के लिए सश्रम कारावास और 1000/- रुपये जुर्नमा और व्यतिक्रम में इसके अलावा 6 महीने की अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा, टाडा की धारा 3(2)(iii) के तहत अपराध के लिए 5 साल की सश्रम कारावास और 1,000/- रुपये का जुर्माना और व्यतिक्रम होने पर 6 महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए कठोर कारावास; टाडा की धारा 4(1) के तहत अपराध के लिए 5 साल की अवधि के लिए सश्रम कारावास और 1,000/- रुपये का जुर्माना देना होगा और व्यतिक्रम होने पर 6 महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए कठोर कारावास; टाडा की धारा 5 के तहत अपराध के लिए 5 साल का सश्रम कारावास और 1,000/- रुपये का जुर्माना देना होगा और व्यतिक्रम होने पर 6 महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए कठोर कारावास; विस्फोटक पदार्थ

अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध के लिए 10 साल की अवधि के लिए सश्रम कारावास और 1,000/- रुपये का जुर्माना देना होगा और व्यतिक्रम होने पर 6 महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए सश्रम कारावास; विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 के तहत अपराध के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए सश्रम कारावास और 1,000/- रुपये का जुर्माना देना होगा और व्यतिक्रम होने पर 6 महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए कठोर कारावास और सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम की धारा 4 के साथ पठित धारा 3 के तहत अपराध के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए सश्रम कारावास और 1,000/- रुपये का जुर्माना देना होगा और व्यतिक्रम होने पर 2 महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए सश्रम कारावास भुगतना होगा (कुल जुर्माना 7,000/- रुपये होगा). मूल सजाएं साथ साथ चलने थे।

9. विचारण न्यायालय ने ए2-पेरियासामी को भा.दं.सं. की धारा 120(बी) सपठित टाडा की धारा 3(3) और 4(1), टाडा की धारा 3(3) और 4(1) और सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम की धारा 3 सपठित 4 के तहत दोषी ठहराया और उसे भा.दं.सं. की धारा 120(बी) सपठित टाडा की धारा 3(3) और 4(1) के तहत 5 वर्ष के लिए सश्रम कारावास और 1000/- रुपये जुर्नमा और व्यतिक्रम में इसके अलावा 6 महीने की अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा, टाडा की धारा 3(3) के तहत अपराध के लिए 5 साल की सश्रम कारावास और 1,000/- रुपये का जुर्माना और व्यतिक्रम होने पर 6 महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए

कठोर कारावास; टाडा की धारा 4(1) के तहत अपराध के लिए 5 साल की अवधि के लिए सश्रम कारावास और 1,000/- रुपये का जुर्माना देना होगा और व्यतिक्रम होने पर 6 महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए कठोर कारावास; विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 सपठित 4 के तहत अपराध के लिए 1 साल की अवधि के लिए सश्रम कारावास और 1,000/- रुपये का जुर्माना देना होगा और व्यतिक्रम होने पर 2 महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए सश्रम कारावास; (कुल जुर्माना 4,000/- रुपये होगा). मूल सजाएं साथ साथ चलने थे। दोनों अभियुक्तों ने इन अपीलों में उक्त फैसले को चुनौती दी है।

10. श्री एम.एस. गणेश, ए1 सेंथिलकुमार के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष का मामला पूरी तरह से ए1-सेंथिलकुमार के स्वीकारोक्ति बयान पर आधारित है। उक्त कथन स्वेच्छा से नहीं दिया गया है और वह इसे वापस लेता है। इसलिए, इस पर दोषसिद्धि कायम रखना सुरक्षित नहीं है। इसके अलावा, इसकी पुष्टि भी नहीं की गई है। अधिवक्ता ने कहा कि यह भी ठीक से दर्ज नहीं किया गया है। अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि पीडब्लू-15 सेवी पेरियासामी और उनकी पत्नी पीडब्लू-14 चंद्रा के साक्ष्य पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वे दोनों पक्षद्रोही घोषित हो गए हैं। अभियोजन पक्ष ने किसी भी स्वतंत्र गवाह से पूछताछ नहीं की है। अभिलेख पर साक्ष्य से पता चलता है कि पीडब्लू-15 सेवी पेरियासामी वास्तव में इस अपराध में शामिल है। इसका कोई

स्पष्टीकरण नहीं है कि क्यों उसे आरोपी नहीं बनाया गया है, इसलिए अभियोजन पक्ष का मामला संदिग्ध हो गया है। अधिवक्ता ने कहा कि पी. डब्ल्यू.-15 सेवी पेरियसामी पर कोई भरोसा नहीं कुया जा सकता जो खुद एक अभियुक्त है। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इन परिस्थितियों में, ए1-सेंथिलकुमार की दोषसिद्धि को रद्द किया जाना चाहिए।

11. श्री गौथमन, ए2-पेरियासामी के विद्वान अधिवक्ता ने लिखित दलीलें प्रस्तुत की हैं जिनका हमने अध्ययन किया है। उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष ने यह साबित नहीं किया है कि ए2-पेरियासामी किसी प्रतिबंधित संगठन का सदस्य था। पुतिन दास @ पन्ना कोच बनाम असम राज्य पर भरोसा करते हुए, अधिवक्ता ने कहा कि ए2-पेरियासामी की सजा को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि ए2-पेरियासामी को घटना के एक साल बाद गिरफ्तार किया गया था क्योंकि उसके नाम को लेकर भ्रम था। नाम की समानता के कारण उसे इस मामले में फंसाया गया है, हालांकि वह किसी भी तरह से अपराध से संबंधित नहीं है। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि पीडब्लू-15 सेवी पेरियासामी के साक्ष्य पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह खुद एक अभियुक्त है। उसने बम तैयार करने के लिए गंधक की खरीद की। अधिवक्ता ने आगे कहा कि इस गवाह का बयान लंबे समय के बाद संहिता की धारा 164 के तहत पुलिस अभिरक्षा में दर्ज किया गया है इसलिए इस पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। किसी भी मामले में,

यह निर्विवाद है कि ए2-पेरियासामी ने पीडब्लू-15 सेवी पेरियासामी को केवल उन चार व्यक्तियों के लिए भोजन उपलब्ध कराने के लिए कहा था जो एक समारोह में आने वाले थे। प्रकाश कुमार उर्फ़ प्रकाश भुट्टो आदि बनाम गुजरात राज्य,पर भरोसा करते हुए अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि ए2-पेरियासामी को सौंपी गई भूमिका पर विचार करते हुए, उसकी दोषसिद्धि को अपास्त किया जाना चाहिए। यह स्थापित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है कि ए2-पेरियासामी को उस अपरद के बारे में पूर्व जानकारी थी जो उसके द्वारा किया गया था और, इसलिए, भले ही यह पाया जाए कि उसका पीडब्लू-15 सेवी पेरियासामी के साथ कुछ संपर्क था, यह नहीं कहा जा सकता कि वह साजिश का हिस्सा था। इस संबंध में, विजयन इत्यादि बनाम केरला राज्य पर भरोसा करते हुए अधिवक्ता ने कहा कि किसी भी गवाह ने ए2 पेरियासामी के खिलाफ कोई विशिष्ट आरोप लगाया है। पीडब्लू-15 सेवी पेरियासामी पक्षद्रोही घोषित हो गए और ए1-सेंथिलकुमार ने अपना स्वीकारोक्ति बयान वापस ले लिया। इसलिए, अभियुक्त को अपराध से जोड़ने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है। वह दोषमुक्त होने का हकदार है। अधिवक्ता ने कहा कि ए2 पेरियासामी को दो साल और नौ महीने की सजा भुगत चूका है और इस तथ्य को भी ध्यान में रखा जा सकता है।

12. दूसरी ओर, तमिलनाडु राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री सुब्रमण्यम प्रसाद ने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय द्वारा टाडा की धारा

15 की वैधता को बरकरार रखा गया है। इसलिए, दोषसिद्धि टाडा की धारा 15 के तहत दर्ज किया गया स्वीकारोक्ति बयान पर आधारित हो सकती है। यदि कोई इकबालिया बयान सच्चा पाया जाता है, तो संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज बयान में उसके बाद के बयान को वापस लेने या उसके खंडन के बावजूद, उस पर भरोसा किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में, अधिवक्ता ने राज्य बनाम नलिनी और अन्य तथा याकूब अब्दुल रज़ाक मेमन बनाम महाराष्ट्र राज्य पर भरोसा करते हुए, अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इस मामले में ए-1 सेंथिलकुमार के स्वीकारोक्ति बयान के अलावा, अपीलार्थियों की संलिप्तता स्थापित करना के लिए रिकॉर्ड पर अन्य सबूत हैं। इस प्रस्तुतीकरण के समर्थन में, वकील ने हमें पेरालम के तत्कालीन मुख्य स्थायी निरीक्षक पीडब्लू-13 एम.परमशिवम और फॉरेंसिक विभाग के तत्कालीन सहायक निदेशक पीडब्लू-32 के.रामकृष्णन के साक्ष्यों से अवगत कराया। इन गवाहों के साक्ष्य से पता चलता है कि घटना स्थल पर मिले आपत्तिजनक पोस्टरों पर लिखावट ए1-सेंथिलकुमार की है। अधिवक्ता ने पीडब्लू-15 सेवी पेरियासामी के साक्ष्य पर भी भरोसा किया जो बहुत देरी से पक्षद्रोही हो गए हैं। अधिवक्ता ने कहा कि विरोधी गवाहों के साक्ष्यों को पूरी तरह से नजरंदाज नहीं किया जाना चाहिए। साक्ष्य का एक हिस्सा जो सुसंगत है उस पर भरोसा किया जा सकता है। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि ए1-सेंथिलकुमार के स्वीकारोक्ति बयान के लिए पर्याप्त पुष्टि उपलब्ध है। अधिवक्ता ने आग्रह किया कि चूंकि

अपीलकर्ताओं की संलिप्तता संदेह से परे साबित हो गई है, इसलिए अपील खारिज कर दी जाए।

13. अभियोजन पक्ष का दावा है कि 24/10/1992 को या लगभग 2.45 बजे, कल्लाकुडी पझांगानाथम और कल्लागम रेलवे स्टेशनों के बीच स्थित किमी.292/6 और 7 के बीच पुल संख्या 276 की पटरियों पर एक विस्फोट हुआ, जिससे 20 लकड़ी के स्लीपर क्षतिग्रस्त हो गए और 20 फीट की लंबाई तक रेल और कंक्रीट संरचनाओं का एक हिस्सा विवादित नहीं है। क्विलॉन एक्सप्रेस के इंजन चालक, जिसे पुल संख्या 276 को पार करना था, ने पटरियों पर पत्थरों को देखकर ट्रेन रोक दी। इस प्रकार एक बड़ी आपदा टल गई। जहाँ तक विस्फोट की घटना की बात है, अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू-1 से पीडब्लू-13 तक की जांच की है, जो रेलवे कर्मचारी हैं। उनके साक्ष्यों से निपटना आवश्यक नहीं है क्योंकि अभियोजन की कहानी के उस हिस्से के लिए कोई गंभीर चुनौती नहीं है।

14. शुरुआत में, हमें इस दलील पर विचार करना चाहिए कि अभियोजन पक्ष ने किसी भी स्वतंत्र गवाह से पूछताछ नहीं की है यह सामान्य ज्ञान है कि जब आतंकवादी आतंक का रास्ता अपनाते हैं तो कोई भी स्वतंत्र गवाह सामने आकार उनके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता हैं। अभियोजन के मामले को इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है। किसी भी मामले में, अभिलेख पर साक्ष्य ठोस और

विश्वसनीय है और, इसलिए, स्वतंत्र गवाहों की जांच नहीं करने से अभियोजन पक्ष के मामले पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। हम यह भी नोट कर सकते हैं कि बचाव पक्ष के गवाहों के साक्ष्य विश्वास को प्रेरित नहीं करते हैं और विचारण न्यायालय द्वारा इस पर उचित रूप से विचार नहीं किया गया है। पीडब्लू-14 चंद्रा पी. डब्ल्यू.-15 सेवी परियासमी की पत्नी पक्षद्रोही घोषित हो गईं। कुछ अन्य औपचारिक गवाह भी पक्षद्रोही हो गए। हालांकि, इसने अभियोजन मामले के मूल को प्रभावित नहीं किया जो विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा स्थापित किया गया है। अब हम उन साक्ष्यों पर विचार करेंगे जो हमारी राय में अभियोजन पक्ष के मामले की पुष्टि करते हैं।

15. ऐसा प्रतीत होता है कि पीडब्लू-15 सेवी पेरियासामी ने जांच एजेंसी को अपराध का खुलासा करने के लिए सुराग दिए हैं। उनका बयान 31/12/1993 को न्यायिक मजिस्ट्रेट पेरम्बलुर द्वारा संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज किया गया था। उन्होंने कहा कि वह अंबेडकर नरपानी मंदारम के सदस्य हैं। उन्होंने 1991 में अंबेडकर जन्मदिन समारोह मनाया था। उस समारोह में उनकी मुलाकात ए2-पेरियासामी से हुई. 23/10/1992 को ए2-पेरियासामी उनके घर आए और उनसे कहा कि एक लेनिन और अन्य व्यक्ति उनसे मिलने आएंगे, वे रात तक घर में रहेंगे और उन्हें उन्हें भोजन उपलब्ध कराना चाहिए। दोपहर 1.30 बजे लेनिन उनके घर आये. लेनिन ने अपने साथ आये दूसरे व्यक्ति से उनका परिचय कुमार के रूप में

कराया। इसके बाद दो अन्य व्यक्ति वहां आये. उनका परिचय करालन और राजाराम के रूप में हुआ। उसने उनसे पूछा कि वे किस उद्देश्य से उसके घर आये थे। उन्होंने उससे कहा कि वे समारोह में भाग लेने आये हैं और रात तक उनके घर में रुकेंगे। उसने पशुशाला में चारपाई डाल दी और उन्हें बैठने को कहा। उन्होंने और उनकी पत्नी ने उनके लिए भोजन तैयार किया। उन्होंने लेनिन और करलान दोनों को जिलेटिन की छड़ें हटाते हुए देखा। उन्होंने उसके ऊपर आटे को पाउडर की तरह लगा दिया. उसे उन पर शक था. उन्होंने उनसे पूछा कि वे जिलेटिन की छड़ों के साथ क्या कर रहे हैं। करलान ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई सवाल नहीं पूछना चाहिए कि वे क्या कर रहे हैं। फिर ए 1-सेंथिलकुमार और राजाराम @माधवन ने सफेद रंग के कागज पर काली स्याही से "वीरा वनक्कम" (शाही सलाम) जैसे नारे लिखे और 'तमिलियन नेताओं के खिलाफ दायर मामले वापस लें।' इसके बाद करलान ने उससे दो खाली कांच की बोतलें लाने को कहा। उसने उन्हें दो बोतलें दीं। उन्होंने कांच की बोतलों को तोड़कर पाउडर बना दिया। इसके बाद करलान ने उसे 12 रुपए दिए और सल्फर पाउडर खरीदने को कहा। चूँकि उन्होंने डर के मारे उसे धमकी दी थी, वह पेरम्बलूर गए और 100 ग्राम सल्फर पाउडर खरीदा। वह अपने गांव आया और सल्फर पाउडर करलान को सौंप दिया। खाना खाने के बाद वे अपना सामान पशुशाला में रखकर चले गए। कुछ देर बाद वे सभी टिन की बोतलें लेकर लौटे और टिन की बोतलों में जिलेटिन की छड़ें डाल दीं. वे घर से

निकल गये. जब उन्होंने उनसे पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं, तो लेनिन ने उनसे कहा कि उन्हें अगले दिन अखबार पढ़ने पर पता चल जाएगा। अगले दिन उसने अखबार पढ़ा और पता चला कि कल्लाकम मुथुवथुर गांव में स्थित रेलवे पुल एक बम विस्फोट के कारण नष्ट हो गया था। उन्होंने ए2-पेरियासामी से पूछा कि विस्फोट किसने किया था। ए2-पेरियासामी ने उसे बताया कि विस्फोट के लिए लेनिन, करलान और राजाराम उर्फ माधवन जिम्मेदार थे और अगर उसने यह बात किसी को बताई तो उसके परिवार को मार दिया जाएगा। इसके बाद उनकी मुलाकात थुरैमंगलम जंक्शन रोड पर ए1-सेंथिलकुमार से हुई। ए1-सेंथिलकुमार ने उसे बताया कि वह, करलान, लेनिन और राजाराम थे रेलवे पुल को नष्ट कर दिया. उन्होंने ए1-सेंथिलकुमार से कहा कि वह उन्हें अपने घर में आश्रय नहीं दे सकते। ए1-सेंथिलकुमार उसे यह कहकर चला गया कि अगर उसने यह बात किसी को बताई तो वे उसके परिवार को खत्म कर देंगे। इसलिए, अपने परिवार के हित में, उन्होंने जो कुछ भी उन्हें बताया गया था, वह किसी को नहीं बताया। इसके बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने सारी बातें बताईं। उन्होंने करलान, राजाराम और लेनिन की तस्वीरों की भी पहचान की।

16. 13/9/1996 और 3/11/1997 को न्यायालय में उनसे पूछताछ की गई जब उन्होंने संहिता की धारा 164 के तहत दिए गए अपने बयान को दोहराया। 5/2/1998 को जब उन्हें वापस बुलाया गया उन्होंने कहा कि

एमओ 5 श्रृंखला (दीवार पोस्टर) ए 1-सेंथिलकुमार द्वारा अपने मवेशी बाड़ा में लिखे गए थे। 25/9/1998 को उन्हें फिर से वापस बुलाया गया जब उन्होंने स्वीकार किया कि 31/12/1993 को उन्होंने पेरम्बलूर में न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया था। 19/9/2001 को उन्हें पुनः वापस बुला लिया गया। उस दिन वह कुछ हद तक अपने पहले वाले बयान से पलट गया, उन्होंने कहा कि उन्हें याद नहीं है कि क्या ए 2-पेरियासामी ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से सूचित किया था कि चार लोग आएंगे और उन्हें उन्हें खाना खिलाना चाहिए। हालाँकि, उसने कहा कि चार व्यक्ति आए थे और उन्होंने उन्हें सूचित किया कि वे समान संगठन से हैं और उन्हें उनके लिए भोजन उपलब्ध कराना चाहिए। 28/9/2001 को उसे पुनः वापस बुला लिया गया। उस दिन, उन्होंने कहा कि जब वह एचएलएस के घर आए तो उसने लेनिन को देखा और जब वह उनके घर गए तो उन्हें करलान के बारे में पता चला। फिर उसने कहा कि उन्हें क्यू ब्रांच पुलिस स्टेशन में अभिरक्षा में लिया गया था और जांच अधिकारी ने उनसे कहा था कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान देने के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। हालाँकि, उन्होंने इस सुझाव से इनकार किया कि ए 1-सेंथिलकुमार उनसे उनके आवास पर नहीं मिले। उसने कहा कि लेनिन के साथ आए व्यक्ति ने उन्हें बताया कि उसका नाम ए 1-सेंथिलकुमार है। उसने कहा कि यह कहना गलत है कि उन्हें 10/12/1992 से 30/12/1992 तक पुलिस द्वारा डराया गया था। उसने कहा कि उन्हें जांच अधिकारी ने न्यायिक मजिस्ट्रेट

के सामने बयान देने के लिए सिखाया था। उन्होंने कहा कि वह मदद करते थे किसी भी दलित अतिथि को और लेनिन को वह भोजन और आश्रय नहीं देते, यदि उसे पता होता कि वह उस संगठन से हैं। इसके बाद उसने कहा कि वह ए1-सेंथिलकुमार से पहले नहीं मिला था और वह उसे पहली बार कोर्ट में देख रहा हैं। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि 28/9/2001 को, हालांकि वह कई दावों पर अड़े रहा जो उसने पहले दिए थे, लेकिन कुछ हद तक वह अपने बयान से मुकर गया। इसलिए, सरकारी अधिवक्ता ने उनसे जिरह करने की अनुमति मांगी। सरकारी अधिवक्ता ने उससे प्रति परीक्षा। प्रति परीक्षा में उसने कहा कि उसने यह बयान जांच अधिकारी के आदेश पर दिया था।

17. पीडब्लू-40 पीआई पट्टाबिरामन ने कहा कि ए1-सेंथिलकुमार को अभिरक्षा में लेने के बाद, उन्होंने उनके नमूने के हस्ताक्षर लिए जो प्रदर्श-पी/6 श्रृंखला के हैं। उन्होंने आगे कहा कि 19/12/1993 को, वे ए1-सेंथिलकुमार को चेन्नई ले गए और उसे पीडब्लू-37 रामानुजम, पुलिस अधीक्षक, क्यू शाखा सीआईडी, चेन्नई के समक्ष पेश किया और और टाडा की धारा 15 के तहत ए1-सेंथिलकुमार का स्वीकारोक्ति बयान दर्ज करने के लिए एक लिखित अनुरोध दिया। 20/12/1993 को, 1800 बजे पीडब्लू-37 रामानुजम ने यह सुनिश्चित करने के बाद कि ए1-सेंथिलकुमार को धमकी नहीं दी गई थी या अपना स्वीकारोक्ति बयान देने के लिए प्रेरित

नहीं किया था, उसका स्वीकारोक्ति बयान दर्ज किया और उसके हर पृष्ठ पर हस्ताक्षर प्राप्त किए।

18. अपने स्वीकारोक्ति बयान में, ए1-सेंथिलकुमार ने बताया है कि कैसे वह मुरुगेसन नामक व्यक्ति के संपर्क में आया, जो अंबेडकर की विचारधारा को फैलाने के लिए एक संघ चला रहा था। मुरुगेसन के माध्यम से ही वह तमिलनाडु लिबरेशन फोर्स की गतिविधियों और लेनिन और रवि जैसे मुरुगेसन के सहयोगियों से परिचित हुए। उसने कहा कि रवि के घर में मुरुगेसन, लेनिन और अन्य लोग गुप्त बैठकें करते थे; वे कहते थे कि तमिलनाडु को भारत से अलग होना चाहिए और इसके लिए उन्हें हथियारों से लड़ना होगा। उन्होंने आगे कहा कि लेनिन उन्हें पीडब्लू-15 सेवी पेरियासामी के घर ले गए। लेनिन ने उन्हें बताया कि उन्हें ए2-पेरियासामी द्वारा भेजा गया था। कुछ ही देर में राजाराम उर्फ माधवन और करलान उर्फ नागराजन भी वहां आ गए। करलान एक बैग लाया जिसमें 40 जिलेटिन की छड़ें, एक लंबा हरा रंग का तार, 5 से 6 डेटोनेटर और जूट का धागा था। राजाराम उर्फ माधवन द्वारा लाए गए बैग में पांच लीटर क्षमता का एक खाली टिन, दो बड़े ड्राइंग पेपर और दो काले और लाल रंग के स्केच पेन थे। वे दीवार के कागज़ात लाए थे और लेनिन और करलान के निर्देशानुसार ए1-सेंथिलकुमार ने 'बहादुरी को सलाम' जैसे नारे लिखे थे। वीरता को सलाम', 'कश्मीरी लोगों के मुक्ति संघर्ष को जीतने दें', 'तमिल नेताओं के खिलाफ दायर मामले वापस लें', आदि। उन्होंने आगे बताया कि

इसी बीच लेनिन और करलान ने एक कागज में लपेटी हुई जिलेटिन की छड़ें निकालीं और एक आटे में मिला दिया. उन्हें पीडब्लू-15 सेवी पेरियासामी से दो खाली कांच की बोतलें मिलीं, उन्हें टुकड़ों में तोड़ दिया और उसे भी आटे में मिला दिया। उन्होंने कहा कि करलान को पीडब्लू-15 सेवी पेरियासामी के माध्यम से सल्फर पाउडर मिला और तार पर सल्फर लगाया। शाम को वे झील क्षेत्र के पास गये और लेनिन ने उनसे कहा कि वे रेलवे ट्रैक को ध्वस्त करने जा रहे हैं ताकि जनता में दहशत पैदा हो जाये। फिर वे आगे बढ़े, एक होटल में खाना खाया. वे पीडब्लू-15 सेवी पेरियासामी के घर आए और वहां रखे सभी सामान ले गए और वहां से चले गए। वहां से निकलते वक्त लेनिन ने सभी से कहा कि उन्हें कल का अखबार पढ़ना चाहिए. वहां से वे बस से अरियालुर गए। वहां से वे बस से डालमियापुरम गए। वे एक नहर से होते हुए एक रेलवे पुल पर पहुँचे। पुल के नीचे बैठकर करलान ने जिलेटिन और सल्फर को टिन में रखा. उसने डेटोनेटर को एक साथ बांधा और जो टिन था उसमें उसे डाल दिया जिलेटिन मिश्रण था, उसने तार को डेटोनेटर से जोड़ा और टिन के ढक्कन में छेद के माध्यम से, उसने तार निकाला और टिन को बंद कर दिया। इसके बाद चारों पुल पर चढ़ गये। करलान ने बम को पुल के दक्षिणी कोने में पटरियों के बीच में रखा था। उन्होंने पटरियों के बीच एक बड़ा पत्थर रख दिया। उन्होंने रेल की पटरियों के ऊपर पेड़ों की शाखाएँ रखीं। उन्होंने खंभों पर नारे लिखे। उन्होंने अपराध स्थल पर ड्राइंग पेपर और नोटिस पर

तैयार पोस्टर भी रखे। करलान ने माचिस की तीली से तार जलाया और वे भाग गए। कुछ ही सेकेंड में धमाका हो गया। इसके बाद उसने बताया कि 17/12/1993 को गिरफ्तार होने तक वह एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते रहे।

19. ए 1-सेंथिलकुमार के स्वीकारोक्ति बयान से पता चलता है कि वह अन्य आरोपियों के साथ पीडब्लू-15 सेवी पेरियासामी के घर गया था, उसने करलान, लेनिन और राजाराम उर्फ माधवन की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया था और वे विस्फोटक पदार्थों के निर्माण में उसके साथ शामिल हो गए थे। उसके स्वीकारोक्ति से यह भी पता चलता है कि उसने कागजों पर नारे लिखे थे और वह बम तैयार करने, ले जाने, लगाने और विस्फोट करने में शामिल था। यहां यह भी बताया जाना चाहिए कि ए 1-सेंथिलकुमार ने अपना स्वीकारोक्ति वापस ले लिया है। हम उस पर थोड़ी देर बाद विचार करेंगे।

20. प्रासंगिक साक्ष्य का उल्लेख करने के बाद, अब हम विचार करेंगे कि क्या अभियोजन पक्ष ने अपना मामला ए 1-सेंथिलकुमार के खिलाफ स्थापित किया है। उनका स्वीकारोक्ति बयान उसके खिलाफ सबूत का बड़ा टुकड़ा है। सवाल यह है कि टाडा की धारा 15 के तहत दर्ज किए गए स्वीकारोक्ति का साक्ष्य मूल्य क्या है।

21. याकूब अब्दुल रज़ाक मेमन में, स्वीकारोक्ति के साक्ष्य मूल्य पर इस न्यायालय के कुछ निर्णयों, विशेष रूप से नलिनी में इस न्यायालय के निर्णय, का उल्लेख करने के बाद के, इस न्यायालय ने स्वीकारोक्ति की साक्ष्य मूल्य पर कानून की स्थिति का सारांश दिया। प्रासंगिक निष्कर्ष उद्धृत किए जा सकते हैं।

> "105. संक्षेप में, यह आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि स्वीकारोक्ति के साक्ष्य मूल्य पर कानून की स्थिति इस प्रकार है: -
>
> (i) यदि स्वीकारोक्ति बयान टाडा की धारा 15 और इसके तहत बनाये गए नियमों के अनिवार्य प्रावधान को संतुष्ट करते हुए दर्ज किया गया है, और यदि न्यायालय द्वारा इसे स्वेच्छा से और सत्यता से दिया गया पाया गया है, तो उक्त बयान निर्माता पर स्वीकारोक्ति के लिए दोषसिद्धि का आधार बनाने के लिए पर्याप्त है।
>
> (ii) इस तरह की स्वीकारोक्ति के लिए पुष्टि की आवश्यकता है या नहीं, यह अदालत के लिए प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर विचार करने का मामला है।
>
> (iii) सह-अभियुक्त के विरुद्ध इस तरह की स्वीकारोक्ति के उपयोग के संबंध में, यह माना जाना चाहिए कि सावधानी

के तौर पर, सामान्य पुष्टि की मांग की जानी चाहिए, लेकिन ऐसे मामलों में जहां न्यालय संतुष्ट है कि संभावित मूल्य पर इस तरह की स्वीकारोक्ति ऐसी है कि इसकी पुष्टि की आवश्यकता नहीं है तो यह बिना पुष्टि के सह-अभियुक्त के ऐसे इकरारनामे के आधार पर दोषसिद्धि का आधार बन सकता है। लेकिन यह पुष्टि की आवश्यकता के सामान्य नियम का एक अपवाद है जब इस तरह की स्वीकारोक्ति का उपयोग सह-अभियुक्त के खिलाफ किया जाना है।

(iv) निर्माता के खिलाफ स्वीकारोक्ति के उपयोग के सम्बन्ध में और सह-अभियुक्त के विरुद्ध उसी के उपयोग के सम्बन्ध में आवश्यक पुष्टि की सामान्य प्रकृति की है, जब तक कि न्यायालय इस इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँचता है कि इस तरह की पुष्टि किसी विशेष मामले के तथ्यों के कारण भौतिक तथ्यों पर भी होना चाहिए। पुष्टि की आवश्यक डिग्री वह है जो एक विवेकशील व्यक्ति के लिए स्वीकारोक्ति बयान में उल्लिखित तथ्यों के अस्तित्व पर विश्वास करने के लिए आवश्यक है।

(v) XXX XXX XXX XXX"

अतः यह स्पष्ट है कि टाडा की धारा 15 के तहत दर्ज किया गया एक स्वीकारोक्ति बयान, यदि स्वेच्छा से किया गया पाया जाता है और सत्य और उचित रूप से दर्ज किया गया है, तो दोषसिद्धि का आधार बन सकता है।

22. हम पहले ही कह चुके हैं कि पीडब्लू-40 पीआई पट्टाबिरामन ने ए1-सेंथिलकुमार के स्वीकारोक्ति बयान दर्ज करने के लिए पीडब्लू-37 रामानुजम, पुलिस अधीक्षक "क्यू" शाखा सीआईडी, चेन्नई के समक्ष पेश किया। 22/12/1993 को, पीडब्लू-37 रामानुजम ने यह सुनिश्चित करने के बाद ए1- सेंथिलकुमार का स्वीकारोक्ति इकबालिया बयान दर्ज किया कि उसे स्वीकारोक्ति बयान देने के लिए धमकी नहीं दी गई थी या प्रेरित नहीं किया गया था। पीडब्लू-37 रामानुजम ने ए1-सेंथिलकुमार के स्वीकारोक्ति बयान के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर प्राप्त किए। ए1-सेंथिलकुमार ने स्वीकारोक्ति बयान पर हस्ताक्षर करते हुए स्वीकार किया कि वह बिना किसी जबरदस्ती और मजबूरी के स्वेच्छा से बयान दे रहा था और इसके परिमाण को जनता है । हमने पीडब्लू-40 पट्टाबिरामन और पीडब्लू-37 रामानुजम के साक्ष्य और ए1-सेंथिलकुमार का स्वीकारोक्ति बयान को ध्यान से पढ़ा है, जो प्रदर्श-पी/24 पर है। हम संतुष्ट हैं कि स्वीकारोक्ति बयान ठीक से दर्ज किया गया था; कि ए1-सेंथिलकुमार को मजबूर नहीं किया गया था या बयान देने के लिए मजबूर किया गया; कि यह बयान

स्वेच्छा से दिया गया है और यह कि यह सत्य है। हमारी राय में, यह दोषसिद्धि का आधार बन सकता है।

23. हमें अब प्रत्यावर्तन पर आना होगा। हालाँकि यह तर्क दिया गया है कि ए1-सेंथिलकुमार ने अपना इकरारनामा वापस ले लिया है और इसलिए, इसका कोई साक्ष्य मूल्य नहीं है। इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस निवेदन को स्वीकार करना संभव नहीं है। प्रत्यावर्तन हमेशा किसी स्वीकारोक्ति बयान के साक्ष्यात्मक मूल्य को कम या कम या ख़त्म नहीं करता है। अक्सर प्रत्यावर्तन का विचार बाद में किया जाता है। यह कानूनी सलाह या उन लोगों द्वारा डाले गए दबाव का नतीजा हो सकता है जिनकी संलिप्तता का खुलासा या पुष्टि आरोपी के स्वीकारोक्ति बयान से होने की संभावना हो सकती है। इसलिए, प्रत्येक मामले में, न्यायालय को यह जांच करनी होगी कि क्या स्वीकारोक्ति स्वैच्छिक और सत्य थी और क्या प्रत्यावर्तन बाद में सोचा गया था। कलावती बनाम हिमाचल राज्य मामले में, इस न्यायालय ने कहा कि प्रत्यावर्ती स्वीकारोक्ति से जुड़ी विश्वसनीयता की मात्रा प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। तमिलनाडु राज्य बनाम कुट्टी मामले में भी, इस न्यायालय ने कहा कि यदि न्यायालय संतुष्ट है कि स्वीकारोक्ति सत्य थी और स्वेच्छा से की गई थी, तो प्रत्यावर्तित स्वीकारोक्ति दोषसिद्धि के लिए कानूनी आधार बन सकती है। याकूब अब्दुल रज़ाक मेमन के मामले में इन निर्णयों के बाद, इस न्यायालय ने माना कि जहां मूल स्वीकारोक्ति सत्य

और स्वैच्छिक थी, संहिता की धारा 313 के तहत बयान में बाद में प्रत्यावर्तन और इनकार करने के बावजूद न्यायालय आरोपी को दोषी ठहराने के लिए इस तरह की स्वीकारोक्ति पर भरोसा कर सकती है। इस प्रकार कानून स्पस्ट है। इसलिए प्रत्यावर्तित स्वीकारोक्ति इकबालिया बयान हमेशा बेकार नहीं होता। हमें यह दोहराने में कोई झिझक नहीं है कि ए1-सेंथिलकुमार का स्वीकारोक्ति बयान सही प्रक्रिया का पालन करने के बाद दर्ज किया गया था; यह स्वैच्छिक और सत्य था; कि ए1-सेंथिलकुमार को अपना बयान देने के लिए मजबूर या मजबूर नहीं किया गया था और उक्त बयान को प्रत्यावर्तित करना स्पष्ट रूप से एक बाद का विचार है और इसे नजरअंदाज किया जाना चाहिए।

24. किसी भी मामले में, अभिलेख पर मौजूद अन्य साक्ष्यों से ए1-सेंथिलकुमार के स्वीकारोक्ति बयान की पर्याप्त पुष्टि उपलब्ध है। इस संबंध में, पीडब्लू-13 एम.परमासिवम के साक्ष्य की ओर मुड़ना आवश्यक है, जो प्रासंगिक समय पर पेरलम में मुख्य स्थायी निरीक्षक के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने बताया कि 24/10/1992 को सुबह तीन बजे जब उन्हें खबर मिली कि एक ट्रेन रुकी है तो वह घटनास्थल पर गये। उन्होंने पाया कि ट्रेन को पलट दिया गया था और कल्लगाम रेलवे स्टेशन पर रखा गया था। वह पुल के दक्षिणी हिस्से में गये और देखा कि पुल की फिश प्लेटें और कंक्रीट वाला हिस्सा टूटा हुआ है. वह पुल से नीचे उतर गया। उन्होंने दीवार पोस्टर (एमओ 5 श्रृंखला), बिट नोटिस और अन्य लेख देखे। उन्हें

महज़र के तहत कार्यभार सौंपा गया था [प्रदर्श-पी/3]। पीडब्लू-32 के.रामकृष्णन, जो प्रासंगिक समय में चेन्नई के फोरेंसिक विज्ञान विभाग के फोटोग्राफी डिवीजन में सहायक निदेशक के रूप में कार्यरत थे, ने कहा कि उन्हें पुलिस निरीक्षक, क्यू शाखा, सीआईडी, त्रिची की मांग प्राप्त हुई थी। उन्होंने आगे कहा कि मांग के साथ, उन्हें एमओ 5 श्रृंखला के रूप में चिह्नित दो विवादित दीवार पोस्टर और एमओ 22 श्रृंखला के रूप में चिह्नित चार विवादित दीवार पोस्टर प्राप्त हुए थे। दीवार पोस्टरों पर विवादित लिखावट की तुलना के लिए, उन्हें 30 दीवार पोस्टर और नमूना लिखावट वाली चार पूरी शीटें मिलीं, जिन पर प्रदर्श-P/6 श्रृंखला अंकित थी। उन्होंने नमूना लिखावट की तुलना दीवार के कागज़ों [एमओ 5 श्रृंखला और एमओ 22 श्रृंखला] पर दिखाई देने वाली लिखावट से की और पाया कि एमओ 5 श्रृंखला और एमओ 22 श्रृंखला पर लेख उस व्यक्ति के थे जिन्होंने प्रदर्श-पी/6 श्रृंखला के रूप में चिह्नित लेख लिखे थे। प्रदर्श-पी/6 श्रृंखला पीडब्लू-40 पीएल पट्टाबीरामन द्वारा ली गई ए1-सेंथिलकुमार की हस्तलेखों का नमूना है। इस प्रकार, पीडब्लू-13 एम.परमासिवम और पीडब्लू-32 के.रामकृष्णन के साक्ष्य ए1-सेंथिलकुमार के स्वीकारोक्ति बयान को आवश्यक स्वतंत्र पुष्टि प्रदान करते हैं। तथ्य यह है कि अपराध स्थल पर पाए गए आपत्तिजनक दीवार पोस्टरों पर ए1-सेंथिलकुमार की लिखावट है, जो एक निर्णायक परिस्थिति है और उसके अपराध को स्थापित करने में काफी मदद करती है।

25. जहाँ तक पीडब्लू-15 सेवी पेरियासामी के सम्बन्ध है, यह तर्क दिया जाता है कि वह स्वयं अपराध में शामिल था। उसका सबूत कलंकित साक्ष्य है और इसलिए, उस पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। इस निवेदन को स्वीकार करना संभव नहीं है। इस गवाह का साक्ष्य स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि उसे अभियुक्तों की गतिविधियों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह अम्बेडकर कल्याण संघ का सक्रिय कार्यकर्ता है। उसने कहा कि वह एक दलित हैं और दलितों के लिए काम करता हैं। उसके अनुसार, यह ए2-पेरियासामी है, जिसने उसे बताया कि चार व्यक्ति उसके पास आएंगे और उसे उन्हें भोजन उपलब्ध कराना चाहिए। उसने तदनुसार उन्हें दोपहर का भोजन दिया। जब वे दीवार पर पोस्टर तैयार करने और बम बनाने में व्यस्त थे, तो उन्होंने उनसे पूछा कि वे क्या कर रहे हैं और उन्होंने उनसे कहा कि उन्हें उनसे कोई सवाल नहीं पूछना चाहिए और अगर वह अगले दिन का अखबार पढ़ेंगे तो उन्हें इसके बारे में पता चल जाएगा। उसके अनुसार, जब ए1-सेंथिलकुमार उनसे मिला तो उन्होंने उनसे पूछा कि धमाका किसने किया था। ए1-सेंथिलकुमार ने उसे बताया कि विस्फोट उसने और उसके सहयोगियों ने किया था और यदि इसने इसके बारे में किसी को सूचित किया तो उसके परिवार के सभी सदस्यों को मार दिया जाएगा। इसलिए इस निष्कर्ष पर पहुचना मुश्किल है कि पीडब्लू-15 सेवी पेरियासामी अपराध में शामिल था। वह परिस्थितियों का शिकार प्रतीत होता है। उसका इस्तेमाल अभियुक्त द्वारा किया गया। उसे

अभियुक्तों द्वारा रचे गए षड़यंत्र की प्रकृति का पता नहीं था। इसलिए, इसके साक्ष्य को दागी साक्ष्य के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है।

26. यह प्रस्तुत किया गया था कि पीडब्लू-15 सेवी पेरियासामी के साक्ष्य को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए क्योंकि वह पक्षद्रोही हो गया था। यह सामान्य बात है कि पक्षद्रोही गवाह के साक्ष्य को पूरी तरह से ख़ारिज करने की आवश्यकता नहीं है। अभियोजन पक्ष उसके साक्ष्य के उस हिस्से का उपयोग कर सकता है जिसकी पुष्टि अभिलेख पर अन्य साक्ष्य द्वारा की जाती है [देखें भज्जू उर्फ़ करण सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य] इसके अलावा, इस मामले में तथ्य विचित्र हैं। 13/9/1996 को जब पीडब्लू-15 सेवी पेरियासामी से पहली बार न्यायालय में 25/9/1998 को पूछताछ की गई थी, तो उसने अभियोजन का समर्थन किया। जब पाँच साल बाद वह 19/9/2001 को वापस बुलाया गया था, वह अपने पिछले कथन से कुछ हद तक मुकर गया था। 28/9/2001 को उसने अपने पहले के बयान के कुछ हिस्से की पुष्टि की, लेकिन बयान में एक बड़ा बदलाव कर दिया। यह स्पष्ट है कि गवाही की रिकॉर्डिंगलगातार नहीं हो रही थी। उसकी परीक्षा की रिकॉर्डिंग और पुनः परीक्षा के बीच पांच वर्ष का बड़ा अंतर था। यह भी ध्यान देने योग्य है कि 13/9/1996, 3/11/1997, 5/2/1998 और 25/9/1998 को, जब उसने घटनाओं का क्रम बताया और अभियुक्तों की भूमिका के बारे में बताया, उससे बिल्कुल भी प्रतिपरीक्षा नहीं की गई थी। इससे स्पष्ट है कि उसकी साक्ष्य की रिकॉर्डिंग को

अनुचित रूप से लंबा खींचा गया था, और उस अवधि में, उन्हें अपने पक्ष में करने का प्रयास किया गया। उसके साक्ष्य के सक्ष्यात्मक मूल्य पर विचार करते समय इन तथ्यों को ध्यान में रखना होगा। हमारी राय है कि इस गवाह के साक्ष्य के उस हिस्से पर भरोसा करना सुरक्षित होगा, जिसकी अभिलेख पर अन्य साक्ष्य द्वारा पुष्टि की गई।

27. हमने व्यापक रूप से पीडब्लू-15 सेवी पेरियसामी के साक्ष्य का उल्लेख किया है। उन्होंने बताया कि कैसे ए1-सेंथिलकुमार लेनिन के साथ उनके घर आए और कैसे दो अन्य लोग उनके साथ शामिल हुए। उसने आगे बताया कि कैसे उन्होंने जिलेटिन की छड़ें और टूटे हुए कांच के टुकड़ों से आटा तैयार किया। उन्होंने आगे कहा कि कि वे उसे यह कहते हुए घर से चले गए कि वह उनसे उनकी गतिविधियों के बारे में कुछ भी न पूछे और उन्हें यह जानने के लिए अगले दिन का समाचार पत्र पढ़ना चाहिए कि वे क्या कर रहे थे। उसने आगे कहा कि कि विस्फोट के बाद वह पेरम्बलुर-थुरैमंगलम जंक्शन रोड पर ए1-सेंथिलकुमार से मिला और उन्होंने उन्हें बताया कि उन्होंने, करालन, लेनिन और राजाराम ने रेलवे पुल को नष्ट कर दिया था। ए1-सेंथिलकुमार यह कहते हुए वहाँ से चला गया कि अगर उसने इसके बारे में किसी को भी बताया, तो उसके परिवार के सभी सदस्यों को मार दिया जाएगा। उसके साक्ष्य के इस हिस्से से अभिलेख पर मौजोद अन्य साक्ष्यों से पर्याप्त पुष्टि मिलती है और इसलिए, हमारी राय है कि इस पर भरोसा किया जा सकता है। इस प्रकार, अपराध में ए1-

सेंथिलकुमार की संलिप्तता पीडब्लू-37 रामानुजम द्वारा दर्ज किये गए उसके स्वीकारोक्ति बयान से; पी डब्ल्यू-13 परमसिवं जिसने कहा कि पोस्टर को उस स्थान से जब्त किया गया था जहाँ विस्फोट हुआ था; पीडब्लू-32 रामकृष्णन के साक्ष्य से जो इंगित करता है कि वे पोस्टर उनके हस्ताक्षर में थे और पीडब्लू-15 सेवी पेरियासामी का बयान से जो उनकी भूमिका को दर्शाता है, पूरी तरह से साबित होती है। इसलिए, विचारण न्यायालय ने उसे दोषी ठहराकर सही किया है।

28. जहाँ तक ए2-पेरियासामी का संबंध है, अपने स्वीकारोक्ति बयान में ए1-सेंथिलकुमार ने केवल यह कहा है कि लेनिन उन्हें पीडब्लू-15 15 सेवी पेरियासामी के घर ले गए और उस घर में अन्य लोग उनके साथ शामिल हो गए। जब वह वहाँ पहुँचा, लेनिन ने पीडब्लू-15 सेवी पेरियासामी को सूचित किया कि उन्हें ए2-पेरियासामी द्वारा भेजा गया। इसके अलावा ए-1 के स्वीकारोक्ति बयान में ए2-पेरियासामी का कोई संदर्भ नहीं है। पीडब्लू-15 सेवी पेरियासामी ने कहा है कि 22/12/1993 को ए2-पेरियासामी उनके पास आए और कहा कि लेनिन और अन्य लोग उनसे मिलने आएंगे और वे रात तक रहेंगे और उन्हें भोजन उपलब्ध कराना चाहिए। ए1 का-सेंथिलकुमार के स्वीकारोक्ति बयान और पीडब्लू-15 सेवी पेरियासामी के साक्ष्य से ऐसा प्रतीत होता है कि ए2-पेरियासामी ने बमों के निर्माण, उन्हें अपराध स्थल तक ले जाने, रेलवे पुल के नीचे रखने और विस्फोट करने में भाग नहीं लिया। पीडब्लू-15 सेवी पेरियासामी के

साक्ष्य में एक संक्षिप्त संदर्भ है कि विस्फोट के बाद जब उन्होंने ए2-पेरियासामी से विस्फोट के बारे में पूछा, तो उन्होंने उन्हें बताया कि विस्फोट के लिए लेनिन, करालन और राजाराम जिम्मेदार थे और अगर उन्होंने यह बात किसी को बताई, तो उसके परिवार के सभी सदस्यों को मार दिया जाएगा। पीडब्लू-15 सेवी पेरियासामी के कथन का इस भाग की अभिलेख पर मौजूद किसी भी साक्ष्य से पुष्टि नहीं की गई है। इस प्रकार, इस पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं होगा। इसलिए, हमारी राय है कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे ए2-पेरियासामी के खिलाफ अपना मामला स्थापित करने में सक्षम नहीं है। इसलिए उसे संदेह का लाभ अवश्य मिलना चाहिए। इन परिस्थितियाँ में, आक्षेपित निर्णय और आदेश जहाँ तक ए1-सेंथिलकुमार की दोषसिद्धि और सजा देने की बात है, की पुष्टि की जाती है। ए1-सेंथिलकुमार की दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की गई है। आक्षेपित निर्णय और आदेश जहां तक यह ए2-पेरियासामी को दोषी ठहराने और सज़ा सुनाने के संबंध में है, को अपास्त किया जाता है। वह दोषमुक्त होता है। ए2-पेरियासामी जमानत पर हैं। उनका जमानत बांड उन्मोचित किया जाता है।

29. परिणामस्वरूप, आपराधिक अपील संख्या 1272/2012 स्वीकार की जाती है और आपराधिक अपील संख्या 787/2013 खारिज की जाती है।

बिभूति भूषण बोस

अपीलों का निस्तारण किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक विनायक कुमार जोशी, अधिवक्ता द्वारा किया गया है ।

<u>अस्वीकरण</u>- इस निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।